न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. किशनाराम पुत्र स्व0 जेठाराम 2. राजूराम पुत्र स्व0 जेठाराम 3. चन्दाराम पुत्र स्व0 अर्जुनराम 4. लिखमाराम पुत्र स्व0 अर्जुनराम 5. अमराराम पुत्र स्व0 अर्जुनराम 6. जगाराम पुत्र स्व0 अर्जुनराम 7. श्रवणराम पुत्र स्व0 अर्जुनराम 8. मिरगा देवी बेवा स्व0 अर्जुनराम (जाति जाट, निवासी धनारी खुर्द तह0 बावडी, जिला जोधपुर)		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बावड़ी आदेश कमांक 1000 दिनांक 27.6.18

उपस्थिति –
1. श्री जे0आर0 बोराना वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20-.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बावडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 के द्वारा तहसीलदार बावडी के पत्र कमांक 475 दिनांक 25.6.18 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नं0 11/2, 11/1, 71, 75, 75/1, 75/2, 9/3, 112, 113 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही 3.04 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 96 सीपीसी का प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के सह–खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 112 में से 0.08 बीघा एवं 113 की भूमि में से 0.09 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख न्याय एवं कानून के विपरित तथा जल्दबाजी में मनमाना पारित किया गया हैं। जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलांट्स के खसरान में रास्ता चालू नही है और न ही उसके द्वारा आवेदन किया गया, क्योंकि अपीलांट्स एवं दीगर लोगो की जमीन खसरा नं0 129/1 गै0मु0 रास्ते पर आयी हुई होने से उसे रास्ते की जरूरत ही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के खसरान में से जो रास्ता निकालने का आदेश पारित किया है, वहां पर अपीलांट्स की पक्की दिवार बनी हुई है व उक्त खसरान में उसके ट्यूबवेल व पक्के मकान बने हुए है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा ट्रेस में भूलवश अपीलांट्स के ख0नं0 306/112 व 308/113 वर्णित हो गये। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पो0 द्वारा अपीलंट्स की खातेदारी भूमि में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने को आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरान में गै0मु0 रास्ता दर्ज नही करने का संशोधित आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्न खसरावार स्थायी रूप से चालू सार्वजनिक रास्ते की भूमि के विवरण में ख0नं0 112 में से 0.08 बीघा एवं 113 में 0.09 बीघा भूमि उल्लेखित है तथा नजरी नक्शे में प्रस्तावित है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त प्रस्ताव पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये की गई है। जिसमें संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 को अपीलांट के ख0नं0 112 व 113 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर